कार्यालय अधीक्षणयंत्री ग्रामीणयांत्रिकीसेवा नर्मदापुरम् मण्डल नर्मदापुरम्

Office Email IDseresnarmda@mp.gov.in, Office Phone No. 07574-250166

क्र. 764/ निविदा / ग्रायांसे / 2026 नर्मदापुरम दिनांक 27/04/ 2026

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 02/2026–27 (प्रथम आमंत्रण)

मप्र के राज्यपाल की ओर से आनलाईन मोहरबंद प्रतिशत दर पर निविदायें फार्म ''ए''(Appendix 2.10) पर **ग्रायांसे संभाग नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम** की म.प्र. लोक निर्माण विभाग के केंद्रीयकृत प्रणाली में समतुल्य/सक्षम श्रेणी में पंजीकृत सी श्रेणी ठेकेदारों से 2 कवर पद्धति में **ग्रायांसे में सिविल कार्य हेतु प्रचलित एस.ओ.आर दिनांक 11.04.2022 से प्रभावशील दर अनुसूची** एवं **विद्युतीकरण कार्य हेतु लो.नि.वि. के विद्युत एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2024 से प्रचलित दर अनूसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) दर** के आधार पर अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नर्मदापुरम मंडल नर्मदापुरम के कार्यालय में आनलाइन आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सिस्टम टेण्डर नं.	कार्य का नाम	निविदा की अनुमानित लागत (रूपये. में)	अमानत राशि (रूपये मे)	कार्य अवधि वर्षाकाल सहित (माह में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1	2026_RES_ 502121	पशु चिकित्सालय माखननगर बाबई भवन निर्माण कार्य, जनपद पंचायत बाबई जिला नर्मदापुरम	2445043.00	49000.00	06 माह	5000.00
	योग–		2445043.00	शब्दों में:– **चौबीस लाख पैंतालीस हजार त्रितालीस रुपए मात्र** ।		

उक्त निविदाओं को वेबसाईट पर ऑनलाईन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाईट **https://mptender.gov.in** के माध्यम से क्रय किये जा सकते है। **निविदा प्रपत्र क्रय करने की प्रारंभिक दिनांक. 06.05.2026 को सायः 18.00 बजे तथा अंतिम दिनांक 25.05.2026 समय दोपहर 13.00 बजे तक तथा निविदा प्रपत्र ऑन लाईन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक दिनांक 06.05.2026 को सायः 18.00 बजे तथा अंतिम दिनांक 25.05.2026 समय दोपहर 13.00 बजे तक निर्धारित है।**

- ➢ कार्य संबंधी विवरण एवं निविदायें की शर्ते आदि वेबसाईटः **https://mptender.gov.in** पर, **अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नर्मदापुरम् मण्डल नर्मदापुरम** के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।
- ➢ समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें, शीघ्रातिशीघ्र बिड जमा करें। वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- ➢ वित्तीय प्रस्ताव किसी भी स्थिति में ऑफलाईन (हार्ड कॉपी में) मान्य नहीं होगा, यदि वित्तीय प्रस्ताव मोहर बंद लिफाफे में या किसी भी प्रकार से ऑफलाईन दिया गया तो वह बिड अमान्य कर दी जावेगी।

ऑन लाईन निविदा की सामान्य शर्तें :–

1.1 प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकार को ऑनलाईन बिड जमा करते समय निम्न दस्तावेज, लिफाफा–ए में स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है :–

1.2 (i) निविदा की अमानत राशि तालिका के कॉलम 6 के अनुसार ऑनलाईन जो संबंधित **कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग–नर्मदापुरम** के पक्ष में देय हो जमा की जावे। एवं भुगतान की रसीद ऑनलाईन अपलोड की जावे।

(ii) **एनेक्जर–बी के अंतर्गत नोटराईज्ड शपथ–पत्र रू. 200 के स्टांप पेपर पर।**

(iii) पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

(iv) ई.पी.एफ.ओ. रजिस्ट्रेशन/मजदूर का जीवित लेबर लायसेंस स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

(v) निविदा प्रपत्र क्रय करने की ऑनलाईन भुगतान रसीद।

(vi) **जीएसटी पंजीयन स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।**

1.3 ऑनलाईन बिड के लिफाफा–सी में फायनेन्सियल बिड अपलोड की जावे।

Scanned with OKEN Scanner

2 Key Dates:

TENDER SCHEDULE

Tender Schedule	Date	Time
Publish Date	06/05/2026	18.00
Document Download/ Sale Start Date	06/05/2026	18.00
Pre-bid Meeting	-----	-----
Bid Submission Start Date	06/05/2026	18.00
Document Download/ Sale End Date	25/05/2026	13.00
Bid Submission End Date	25/05/2026	13.00
Bid Opening Date	26/05/2026	13.00

3. यदि किसी निविदाकार द्वारा अंको एवं शब्दों में दी गई दरों में भिन्नता पाई गई तो उस अवस्था में न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा।

4. पूर्ण निविदा प्रस्ताव ऑनलाईन दिनांक एवं समय के अनुसार मान्य किये जावेगे। ठेकेदार प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत करें। अमानत राशि फिक्स डिपाजिट/ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो शैड्यूल कमर्शियल बैंक/ पोस्ट ऑफीस से संबंधित जिले के **कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग– नर्मदापुरम** के पक्ष में देय हो तथा कार्यावधि के लिये जमा हो, मान्य की जावेगी।

5. प्री–बिड मिटिंग का विवरण एवं अन्य संशोधन होने पर सूचना बेबसाईट पर अपलोड की जावेगी, पृथक से कोई सूचना समाचार–पत्रों में प्रकाशित नहीं की जावेगी।

6. **रू.1.00 करोड़ से अधिक लागत की निविदा को तीन कवर पद्धति में प्री–क्वालिफीकेशन की शर्त के अनुसार समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें। (amendment - म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश प. क्र. 7409/वि–10/ग्रा.यां.से./2024 भोपाल दिनांक 05.11.2024)**

7. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सुपाठ्य होना चाहिये।

8 **यदि किसी निविदाकार द्वारा एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत कम से भी कम दर प्रस्तुत की जाती है एवं स्वीकृत होती है तो निविदा दर एवं एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत कम से अधिक कम के निविदा प्रतिशत के अंतर की राशि अतिरिक्त परफारमेंस गांरटी के रूप में एफ.डी.आर. प्रस्तुत करने पर ही अनुबंध कराया जाएगा, जो कि कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् वापिस की जावेगी। (amendment - म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश प. क्र. 7409/वि–10/ग्रा.यां. से./2024 भोपाल दिनांक 05.11.2024)**

9. ठेकेदार प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत करें। पूर्व निविदाओं की अमानत राशि समायोजित नही की जावेगी।

10 निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

11. कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नही होगी।

12 अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची एवं आवृत्ति अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावें।

14. विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा।

15. निविदा से संबंधित किसी भी वाद–विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

16. श्रम संविदा एक्ट के अंतर्गत जीवित लेबर लायसेन्स प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

17. कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।

18. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/वनक्षेत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

19. ठेकेदार को निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) आर.सी.सी. डिजाईन का अनुमोदन कार्य सम्पादन के पूर्व संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को प्रस्तुत कर सक्षम अनुमोदन प्राप्त कराना होगा।

20. निविदा या फर्म के द्वारा एक कार्य की एक से ज्यादा निविदा प्रस्तुत नहीं की जावेगी। प्रत्येक कार्य के लिये निविदाकार के द्वारा पृथक से निविदा प्रस्तुत की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

21 यदि कोई ठेकेदार एक से अधिक फर्मो में पार्टनर अथवा प्रोप्राईटर हो तो ऐसी फर्मो द्वारा एक ही कार्य के लिये अलग–अलग निविदा प्रस्तुत नहीं की जावें। अन्यथा फर्मो द्वारा प्रस्तुत निविदायें अमान्य कर दी जावेगी।

22. समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों (डामरीकृत मार्ग छोड़कर) हेतु परफार्मेन्स/डिफेक्ट लायबिलिटी की गारंटी अवधि, कार्य की वास्तविक पूर्णता तिथि के पश्चात् 24 माह तक एवं डामरीकृत मार्ग हेतु 36 माह तक रहेगी। डिफेक्ट लायबिलिटी के लिये अनुबंधित राशि की 5 प्रतिशत राशि अनुबंध के पूर्व बैंक गारंटी/टर्म डिपजिट के रूप में **कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग नर्मदापुरम** के नाम प्रस्तुत करना होगी। गारंटी अवधि में ठेकेदार को देय राशि की कुल 10 प्रतिशत राशि अंतिम भुगतान के पश्चात् रोक कर रखी जावेगी। इस हेतु सुरक्षा जमा के रूप में 5 प्रतिशत राशि अतिरिक्त, डिफेक्ट लायबिलिटी के रूप में 5 प्रतिशत राशि इसप्रकार कुल 10 प्रतिशत राशि ठेकेदार के बिल से काटी जावेगी। यदि इस अवधि में निर्माण कार्य में किसी का दोष उत्पन्न होता है, तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से सुधार कार्य कराया जावेगा। ठेकेदार को लिखित में सूचित करने के 15 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा कार्य न कराये जाने पर, कार्य प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर, अन्य कर्मकारों द्वारा सुधार कार्य कराया जावेगा एवं सुधार कार्य पर किये गये व्यय की राशि (जिस बाबत् प्रभारी अभियंता का प्रमाण पत्र अंतिम होगा) उपरोक्तानुसार ठेकेदार की जमा 10 प्रतिशत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। दो वर्ष पश्चात् प्रभारी अभियंता के द्वारा निरीक्षण में निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद पाये जाने पर ठेकेदार से वूसली योग्य राशि के समायोजन पश्चात् शेष जमा राशि ठेकेदार को वापस की जावेगी। यदि सुधार कार्य के व्यय की राशि ठेकेदार की जमा राशि से अधिक रहती है तो अंतर की राशि उससे बकाया भू–राजस्व/ नगद प्रतिभूति के रूप में वसूल की जावेगी।

23 कार्य प्रारंभ होने के पूर्व निर्माणाधीन स्थिति में एवं कार्य समापन के उपरांत विभिन्न स्तर पर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा।

24 ठेकेदार द्वारा नियोजित किये गये कर्मचारियों का ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

25 निविदा अनुबंध के दस्तावेजों पर संविदा मूल्य रूपये 50.00 लाख तक रू. 500/– तथा रूपये 50.00 लाख से अधिक संविदा मूल्य का 0.1 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क प्रभारित होगा। यदि शासन द्वारा इस शुल्क में कोई परिवर्तन किया जाता है तो अनुबंध के समय प्रचलित दरों पर शुल्क प्रभारित रहेगा।

26 **कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग नर्मदापुरम** द्वारा निविदा प्रकरणो में आवश्यक सुधार उपरांत ही निर्णय लिया जावेगा।

27 भवनों में विद्युतीकरण के कार्य हेतु विद्युत लायसेंसशुदा व्यक्ति से परीक्षण कराया जाकर टेस्ट रिपोर्ट ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जाना होगी।

28. विद्युत के कार्य हेतु संबंधित ठेकेदार का मप्र विद्युत बोर्ड का लायसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
नर्मदापुरम मण्डल नर्मदापुरम

पृ. क्र 765/निविदा/ग्रायांसे/2026 **नर्मदापुरम दिनांक 27/04/2026**

प्रतिलिपि :–

1. संचालक जन सम्पर्क संचालनालय जन सम्पर्क भवन बाणगंगा रोड भोपाल की ओर एक स्थानीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु दस प्रतियों में प्रेषित।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रथम टी.सी. – 4 की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ,विकास भवन, पंचम तल, अरेरा हिल्स,भोपाल।
4. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जोन–भोपाल।
5. कलेक्टर जिला नर्मदापुरम ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नर्मदापुरम ।
7. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग– नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम।
8. सूचना पटल मण्डल/संभागीय–नर्मदापुरम/हरदा/बैतूल/मुलताई कार्यालय पर चस्पा हेतु।
9. म0प्र0 शासकीय ठेकेदार ऐसोसियेशन 32, सुन्दर नगर पिपलानी, बी.एच.ई.एल. भोपाल।

अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
नर्मदापुरम मण्डल नर्मदापुरम

F:/tender2018/nit/nit 05/2018-19

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Gaibhiye
Date: 2026.04.29 12:42:40 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

Scanned with OKEN Scanner